#### PRESS NOTE

<u>Sub</u>:- Invites Online Applications for Allotment of Government Accommodation under General Pool for the Session 2025-2026 - regarding

The Housing & Estate Department, Andaman and Nicobar Administration had developed Automated Allotment of Government Accommodation Application (AAGA Portal) through IT Department i.e, SOVTECH and the same has been launched on 25/03/2021. It provides end to end solution with no manual intervention for allotment and an attempt has been made to make a paperless solution. It had built in feature of online verification by DDOs, Medical Department (for medical cases) and H&E Department for further verification.

Now, the Housing & Estate Department, Andaman and Nicobar Administration, Secretariat <u>invites Online Applications</u> for allotment of Government Accommodation under General Pool from Government employees of various Departments under Andaman & Nicobar Administration for the Session 2025-2026 <u>from 19/05/2025 to 18/06/2025 (upto 05.00 PM)</u>.

The Government Servants whose name enlisted in the existing seniority list under General category and 'Out of Turn' on medical ground for the Session 2024-2025 and not allotted Government Accommodation till date are requested to apply afresh for the Session 2025-2026.

As per Rule-5 of Allotment of Accommodation of Andaman and Nicobar Administrative Residences (General Pool) Rules, 1991, allotment to such regular Government Servants of the Administration will be made on the basis of seniority as determined from the date of their entry into Government service under the A & N Administration. The seniority list so finalized shall be valid for a period up to 31st May, 2026. Ad-hoc/Contract employees are not eligible for allotment of Government Residential Accommodation under General Pool and as such their applications will not be entertained.

Applications from the Government servants who are on fresh appointment or on transfer from out Station or on Deputation (after last date of receipt of online application i.e., 18/06/2025) and 'Out of Turn' allotment on medical grounds shall be received throughout the year through online and their placement in the seniority list shall be made accordingly.

The allottee/ occupants who desired to apply for change of their present quarter to Same Type on repair/medical/mutual/transferal grounds and Higher Type shall also register their applications on online portal only.

No hard copy of application is required to be submitted or forwarded to Assistant Secretary (H&E), Secretariat and such applications will not be entertained.

#### Note:-

- i) The applicants, who intends to apply for allotment of Government Accommodation on seniority basis, should upload recent passport size photo, signature, copy of initial appointment order, pay slip, transfer order/ deputation order (in case of transfer/ deputation from out station after the last date of receipt of online application) in the online portal for verification of concerned DDOs and Assistant Secretary (H&E). Photo & Signature should be in jpg./jpeg. format (size 20-50 kbs) and documents should be uploaded in complete shape & in jpg./jpeg./pdf format (size 20-200 kbs) only.
- The applicants those desire to apply for change of quarter for Same Type should upload copy of quarter allotment order/occupation report in the online portal along with the documents mentioned at Sl.No. (i).

Contd...2/-

- iii) The applicants those desire to apply for 'Out of Turn' allotment on medical ground should upload copies of latest medical certificates in the online portal for verification of Medical Board along with the documents mentioned at Sl.No. (i).
- iv) Online registration of application is available in the portal <a href="https://aaga.andaman.gov.in">https://aaga.andaman.gov.in</a> from 19/05/2025 to 18/06/2025 (upto 05.00 PM).
- v) The applicants should register online application form very carefully as no option for alternation/modification in the submitted application is available in the portal. On rejection of application, the applicant should again submit fresh application in the online portal within the stipulated period.
- vi) The applicant should ensure that his/her application is got verified and accepted by his/her DDO/HOO within two days of its submission and within the stipulated period. No request for acceptance of delayed applications shall be entertained.
- vii) The applicant should provide/ fill all the mandatory details in the CAPITAL LETTERS in the online portal and upload documents in complete shape, failing which the applications will not be accepted by the concerned DDOs and Assistant Secretary (H&E) or summarily rejected.
- viii) Before registering online application, the applicants should watch the videos provided in the homepage of AAGA portal.

## F.No. 1-167/2021/H&E/Vol-VI/ अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन Andaman and Nicobar Administration सचिवालय /Secretariat

Sri Vijaya Puram, dated the 15th May, 2025.

### Copy forwarded to:-

The Manager, Govt. Press, Sri Vijaya Puram with the request to publish the above Press Note (in bilingual) in 'The Daily Telegrams' and 'Dweep Samachar' for two consecutive days immediately.
The Chief Editor. The Daily Telegrams of Avii and Telegrams' and 'Dweep Samachar' for two consecutive consecutives.

 The Chief Editor, The Daily Telegrams, Sri Vijaya Puram with the request to publish the above Press Note in 'The Daily Telegrams' for two consecutive days on or before 18/05/2025 immediately.

 The Chief Editor, Dweep Samachar, Sri Vijaya Puram with the request to publish the above Press Note (in Hindi version) in 'Dweep Samachar' for two consecutive days on or before 18/05/2025 immediately.

 The Station Manager, All India Radio, Sri Vijaya Puram with the request to broadcast the above Press Note (in bilingual) in your news bulletin 'Pradeshik Samachar'.

 The Director, Doordarsan Kendra, Sri Vijaya Puram with the request to telecast the above Press Note (in bilingual) in your news bulletin.

 The Executive Officer, SOVTECH, DBRAIT campus, Pahargaon with the request to upload the Press Note (in bilingual) in the AAGA portal immediately.

 Assistant Manager (IT), EDP Cell, Secretariat, Sri Vijaya Puram with the request to upload the Press Note (in bilingual) in the website of A&N Administration <a href="http://www.andaman.gov.in">http://www.andaman.gov.in</a> immediately.

#### Copy to :-

 Sr.PS to Secretary (H&E), A&N Administration, Secretariat for kind information of Secretary (H&E).

Assistant Secretary (H&E)

# प्रेस नोट

विषय:-सत्र 2025-2026 के लिए सामान्य पूल के अंतर्गत सरकारी आवास के आबंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।

आवास एवं सम्पदा विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग अर्थात SOVTECH के माध्यम से सरकारी आवास के आवेदन का स्वचालित आबंटन पोर्टल (AAGA Portal) विकसित कर 25/03/2021 से इसे आरम्भ किया गया है। इसके द्वारा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एंड-टू-एंड आबंटन का समाधान किया जा रहा है और कागज रहित समाधान करने का एक प्रयास किया गया है। इसमें आहरण एवं संवितरण अधिकारियों, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा मामलों के लिए) तथा आवास एवं सम्पदा विभाग द्वारा ऑनलाइन सत्यापन करने के फीचर को शामिल किया गया है।

अतः अब आवास एवं सम्पदा विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, सचिवालय द्वारा सत्र 2025-2026 के लिए सामान्य पूल के अंतर्गत सरकारी आवास के आबंटन हेतु अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों से दिनांक 19/05/2025 से 18/06/2025(अपराह्व 05.00 बजे) तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

सरकारी कर्मचारियों, जिनका नाम वर्ष 2024-2025 के सत्र (सेशन) के लिए सामान्य श्रेणी एवं चिकित्सीय आधार पर बिन-बारी-आबंटन हेतु विद्यमान वरिष्ठता सूची में सूचीबद्ध किया हुआ है और अब तक सरकारी आवास आबंटित नहीं हुआ है, से अनुरोध है कि वे 2025-2026 के सत्र के लिए नए सिरे से आवेदन करें।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासनिक निवासीय (सामान्य पूल) आवास आबंटन नियमावली 1991 के नियम-5 के अनुसार प्रशासन के नियमित सरकारी कर्मचारियों को अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन सरकारी सेवा में उनके प्रवेश की तिथि के आधार पर निर्धारित वरिष्ठता के अनुसार आवास का आबंटन किया जाएगा। इस प्रकार अंतिम रूप से तैयार की गई वरिष्ठता सूची 31 मई, 2026 तक की अविध के लिए वैध होगी। तदर्थ/संविदागत कर्मचारी सामान्य पूल के अंतर्गत सरकारी निवासीय आवास के आबंटन के लिए पात्र नहीं होंगे और इसलिए उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों, जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है अथवा जो बाहरी स्टेशनों से स्थानातरण पर आए हैं अथवा प्रतिनियुक्ति पर हैं (ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि, अर्थात 18/06/2025 के बाद) तथा जो चिकित्सीय आधार पर बिन-बारी-आबंटन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, से आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से पूरे वर्ष के दौरान प्राप्त किए जाएंगे और विरष्ठता सूची में उनका स्थान तदानुसार निर्धारित किया जाएगा।

आबंटिती/अधिभोक्ता, जो मरम्मत/चिकित्सा/परस्पर सहमित से/स्थानांतरण/ अन्य कारणों से अपने मौजूदा आवास को वैसे ही प्रकार या उससे बेहतर प्रकार के आवास में बदलने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन पोर्टल में ही अपना आवेदन का पंजीकरण करवाना होगा।

सहायक सचिव (आ.एवं सं) को आवेदन की हार्ड प्रति जमा अथवा अग्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

# टिप्पणी:-

- (i) आवेदक, जो वरिष्ठता के आधार पर सरकारी आवास का आबंटन के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें संबधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी तथा सहायक सचिव (आ.एवं सं.) द्वारा सत्यापन हेतु ऑनलाइन पोर्टल में अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो, हस्ताक्षर, प्रारंभिक नियुक्ति आदेश, वेतन पर्ची, स्थानांतरण आदेश/प्रतिनियुक्ति आदेश (ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद यदि बाहरी स्टेशनों से स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति हुआ हो तो) अपलोड करना होगा। फोटो और हस्ताक्षर जे.पी.जी./जे.पी.ई.जी. फार्मेट (20 से 50 केबीएस आकार) में होने चाहिए और दस्तावेज पूर्ण आकार में अपलोड किया जाना चाहिए एवं जे.पी.जी./जे.पी.ई.जी./ पी.डी.एफ. फार्मेट (20 से 200 केबीएस आकार) में ही होना चाहिए।
- (ii) आवेदक, जो समान श्रेणी के आवास में बदलाव के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें क्र.सं. (i) में उल्लिखित दस्तावेज के साथ आवास आबंटन आदेश/आधिपत्य रिपोर्ट को ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड करना होगा।
- (iii) आवेदक, जो चिकित्सा आधार पर बिन-बारी-आबंटन के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें चिकित्सा बोर्ड द्वारा जाँच के लिए क्र.सं. (i) में उल्लिखित दस्तावेज के साथ अपना नवीनतम चिकित्सा प्रमाण-पत्र की प्रति ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड करना होगा।
- (iv) पोर्टल https://aaga.andaman.gov.in पर आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 19/05/2025 से 18/06/2025(अपराह 05.00 बजे) तक उपलब्ध रहेगी।
- (v) आवेदकों को अपना ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का पंजीकरण बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए क्योंकि पोर्टल में बदलाव/सुधार करने का विकल्प नहीं है। आवेदन अस्वीकार हो जाने पर आवेदक द्वारा फिर से ऑनलाइन पोर्टल में निर्धारित अविध के भीतर आवेदन जमा करना होगा।
- (vi) आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका आवेदन उसके जमा करने के दो दिन के भीतर तथा निर्धारित अवधि के भीतर उसके संवितरण एवं आहरण अधिकारी/कार्यालयअध्यक्ष द्वारा सत्यापित तथा स्वीकृत कर लिया गया है। विलंबित आवेदन की स्वीकृति के लिए किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (vii) आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल में सभी अनिवार्य विवरण CAPITAL LETTERS में उपलब्ध कराने/भरने होंगे और दस्तावेजों को पूर्ण रूप से अपलोड करना होगा, अन्यथा संबंधित संवितरण एवं आहरण अधिकारी और सहायक सचिव (आ. एवं सं.) द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे या सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
- (viii) ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत करने से पहले, आवेदकों को AAGA पोर्टल के होमपेज पर दिए गए वीडियो देखना चाहिए।
- (ix) आवेदक पोर्टल में जमा किए गए आवेदन का प्रिंटआऊट केवल अभिलेख हेतु निकाल सकते हैं।

\*\*\*\*\*\*